PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Bhaskar, Faridabad
Thursday 16th January 2014, Page: 3
Width: 21.59 cms, Height: 11.26 cms, a4r, Ref: pmin.2014-01-16.54.38

कारण ▶ कई कंपनियों ने सरकार द्वारा तय की गई दवा कीमतों को समय पर नहीं किया लागू

दवा कंपनियों पर लग सकता है भारी जुर्माना

परेशानी

सुप्रीम कोर्ट ने डीपीसीओ, 1995 के मामले में एनपीपीए के रुख पर लगाई मुहर

कंपनियों चुकानी पड़ सकती है ओवरचार्जिंग के मद में करोड़ों की रकम

महेंद्र सिंह ▶ **नई दिल्ली...**

सरकार द्वारा तय की गई दवा कीमतों को 15 दिन में नहीं लागू करने वाली दवा कंपनियों को ग्राहकों से वसूली गई अतिरिक्त रकम बतौर जुर्माना चुकानी होगी। पिछले लगभग दशक की अवधि के आधार पर जुर्माने की यह रकम हजारों करोड़ रुपये में हो सकती है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) 1995 के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 दिन में नई कीमतें लागू करने के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने दवा उद्योग संगठनों को पत्र लिखकर अपनी पहल पर ओवरचार्जिंग की रकम जमा कराने को कहा है।

नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने नई दवा कीमतें 15 दिन में लागू करने के हमारे रुख को वैध ठहराया है। यह आदेश डीपीसीओ 1995 के लिए है। इस अवधि में जिन कंपनियों ने 15 दिन में नई कीमतें नहीं लागू की हैं। उनमें कई दवा कंपनियों के आंकड़े हमारे पास हैं। इन कंपनियों को ओवरचार्जिंग का नोटिस भेजा जा चुका है। अधिकारी के मुताबिक बहुत सी ऐसी कंपनियां भी होंगी जिन्होंने 15 दिन में कीमतें नहीं लागू की हैं। लेकिन इन कंपनियों के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। इसलिए एनपीपीए ने दवा उद्योग संगठनों को पत्र लिख कहा है कि वे ऐसी कंपनियों को अपनी पहल पर ओवरचार्जिंग की रकम जमा कराने को कहें। अधिकारी के मुताबिक पांच-छह दवा कंपनियों ने ही सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की थी लेकिन हजारों कंपनियों में से बहुत सी कंपनियां ऐसी हो सकती हैं जिन्होंने 15 दिन में नई कीमतें लागू करने के आदेश का पालन न किया हो। वहीं दवा उद्योग से जुड़े एक पदाधिकारी मानना है कि पिछले एक दशक की अवधि के दौरान किस कंपनी ने कितना पुराना स्टॉक पुरानी कीमतों पर बेचा इस बारे में आंकड़े जुटाना मुश्किल होगा लेकिन अगर एनपीपीए गंभीरता से इस मामले को आगे बढ़ाता है तो दवा कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मौजूदा समय में दवा कंपनियों पर पहले ही ओवरचार्जिंग के मद में 2,600 करोड़ रुपये से अधिक की रकम बकाया है। इसमें से ज्यादातर मामले अदालत में चल रहे हैं। हालांकि पुरानी कीमतों पर दवा बेचने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दवा कंपनियां किसी तरह की राहत की उम्मीद नहीं कर सकती हैं।